कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर, (छ.ग.)

(dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com)
Ph No 07763223375, Fax No- 07763220654

क्रमांक / 4285 / एन.एच.एम. / संविदा भर्ती / 2023–24 जशपुर, दिनांक..................... 08 JUN 2023

/ / विज्ञापन / /

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / NHM / HR / 2023 / NS–46 / 328 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.05.2023 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति जिला जशपुर के अन्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति की जानी है जिस हेतु तालिका में दर्शित रिक्त पदों की जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु **ऑनलाईन माध्यम** से जिले के वेबसाईट **www.jashpur.nic.in** मे आवेदन दिनांक 25/6/2023 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

SN	Post Name	(Total Post) Vaccant	ST		SC		OBC		UR		Educational Qualification	Salary
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nursing Officer (NHM)	6	3	0	1	0	1	0	1	0	B.Sc. Nursing or GNM Course passed & Live registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16500/-
2	Community Nurse (NMHP)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ नर्सिंग कौंसिल में रजिस्टर्ड एवं मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।	16500/-
3	Laboratory Technicians (NHM)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Bachelor in medical Laboratory Technology (BMLT) / Diploma in Medical Laboratory technology (DMLT) & Live Registration in cg paramedical Council	14000/-
4	Laboratory Technicians-DPHL(IDSP)	4	2	0	0	0	1	0	1	0	Bachelor in medical Laboratory Technology (BMLT) / Diploma in Medical Laboratory technology (DMLT) & Live Registration in cg paramedical Council	14000/-
5	Physiotherapist (Rehabilitation Worker)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Bachelors Degree in Physiotherapy (BPT) with live registration in cg council	16500/-
6	ANM (RBSK)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12th Passed , ANM Passed & INC Affiliated training center & Live Registration in Chattisgarh Nursing Registration council	12000/-
7	Pharmacists (RBSK)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Bachelor in Pharmacy (BPharma) / Diploma in Pharmacy (DPharma) &Registration in cg paramedical Council	16500/-
8	Attendant (NRC)	2	1	0	0	0	0	0	1	0	8th Passed	8800/-
9	Lab Assistant	2	1	0	0	0	0	0	1	0	12th Passed in Biology	8800/-
10	Nursing Officer ICU	3	1	0	0	0	1	0	1	0	B.Sc. Nursing or GNM Course passed & Live registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16500/-
11	Sanitary Attendant (NPHCE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12th Passed	8800/-
12	Support Staff (Housekeeping)	8	4	1	1	0	1	0	1	0	8th Passed	10000/-
13	Security Guard	1	1	0	0	0	0	0	0	0	01. 10th Passed शासकीय अर्द्धशासकीय / निजि संस्था में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। 02. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था के अनुभव को अंक प्रदान किया जाना है तथा निजि संस्था के अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को पात्र किया जाना है किन्तु अनुभव का अंक सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 03. सेक्यूरिटी गार्ड हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सें.मी. होगी। जिसका मेडिकल बोर्ड	10000/-

											द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
14	BLOCK Supervisor VBD	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Bsc Biology	21000/-
15	Junior. Secretrial Assistant (PADA)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12th Passed With Atleast one year Diploma in Computer Application	12000/-
16	OT Technician (LaQsya FRUs)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	12th Passed From Biology /Physics/chemistry stream & OT technician paramedical course and live Registration in CG Paramedical Council	14000/-
17	ANM	3	0	1	0	1	0	0	0	1	12th Passed , ANM Passed & INC Affiliated training center & Live Registration in Chattisgarh Nursing Registration council	12000/-
18	Secretrial Assistant (Medical record officer)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Graduate with atleast 1 year Diploma in Computer application	13650/-
19	MO - AYUSH RBSK Male	1	1	0	0	0	0	0	0	0	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognised (BAMS/BHMS/BUMS)Ayurvedic,Homoepathy,Unani Registration Board	25000/-
20	MO - AYUSH RBSK Female	3	0	2	0	0	0	1	0	0	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognised (BAMS/BHMS/BUMS)Ayurvedic,Homoepathy,Unani Registration Board	25000/-

—:: चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश ::—

1. आवेदन पत्र के संबंध में:—

1.1. आवेदक जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

1.2. निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25/6/2023 सायं 05:00 बजे तक जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in में ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें ।

1.3. अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1.4. ऑनलाईन आवेदन करते समय चाही गयी समस्त जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर अनिवार्य रूप से भरें। आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक आवेदन का सुधार किया जा सकता है इसके उपरांत त्रुटि सुधार का पृथक से मौका नहीं दिया जाएगा।

1.5. ऑनलाईन आवेदन करते समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों के पूर्णांक एवं प्राप्तांक का योग को भरा जाना अनिवार्य है।

2. आयु सीमा :—

2.1 01 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिये। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जावेगी।

2.2 सेक्यूरिटी गार्ड हेतु आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी तथा अजा/अ.ज.जा. वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट होगी।

3. भर्ती प्रक्रिया :—

3.1. प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों वं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in में चस्पा/प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in का अवलोकन करते रहें।

3.2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2023/NS-421/353 नवा रायपुर दिनांक 09.05.2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों में प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगें।

3.3. आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.4. जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5. पद जैसे कि **Nursing Officer, Nursing Officer ICU, Laboratory Technicians (NHM), Laboratory Technicians-DPHL(IDSP), Pharmacists (RBSK)** के पदों हेतु उच्च योग्यता धारी अभ्यर्थियों (पहले अंकित शैक्षणिक योग्यता) को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जाएगा उसके उपरांत ही द्वितीय अंकित ((अथवा(Or) के बाद)) शैक्षणिक योग्यता धारी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

3.6. उक्त प्राथमिकता कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षातकार/लिखित परीक्षा हेतु बनाये जाने वाले मेरिट सूची तक ही दी जावेगी।

3.7. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा–

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

3.8. दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :–

1. दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
4. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
6. संबधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
9. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर आई.डी.)
10. अन्य संबंधित दस्तावेज।
11. सेक्यूरिटी गार्ड हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 से.मी. होगी। जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. समस्त पदो के अभ्यर्थियों का चयन उपरांत पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य/चयन सूची :–

4.1. निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन में से रिक्तियों के अधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार कर निर्धारित अनुपात में अभ्याथियों को दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार आहूत किया जावेगा।

4.2. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 15 अंक 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें। किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

4.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र/एफ1–67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य

संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

4.4. अनुभव के अंको की गणना हेतु केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय शासन से वित्त पोषित का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व का ही मान्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय होना अनिवार्य होगा एवं अन्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव ही मान्य होगा।

4.5. अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा।

4.6. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र का नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्यानुभव को मान्य नहीं किया जायेगा।

5. स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम./नर्सिंग संवर्ग पदों हेतु –

5.1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत का – 50 प्रतिशत अंक।

5.2. अनुभव – 10 अंक/15 अंक (जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों को 02 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 10 अंक एवं एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को 03 अंक प्रतिवर्ष के मान से 15 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक/03 अंक/04 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के अधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें।

5.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र/एफ1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

5.4. उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी।

5.5. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा। उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2018 तक जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानिनों के लिए ही लागू होगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।

6. सेक्यूरीटी गार्ड, सेनेटरी अटेंडेंट, एनआरसी अटेंडेंट, सपोर्ट स्टॉफ एवं लैब असिस्टेंट के पदों हेतु

6.1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का – 75 प्रतिशत अंक ।

6.2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र/एफ1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

6.3. अनुभव – 10 अंक/15 अंक (एनएचएम में कार्यरत अभ्यथियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यथियों को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक/03 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें।

6.4. आठवीं अर्हता वाले पदो के लिए शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण ग्रेड की प्रतिशत में परिवर्तन:- ग्रेड विवरण के अनुसार अभ्यर्थी ग्रेड का प्रतिशत् निकालने के लिए औसत प्रतिशत् निकालना होगा।

जैसेः—90—100 के प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का ग्रेड =A+ है, तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए

औसत प्रतिशत् = $\frac{90+100}{2} = 95$

इस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणली में ग्रेड का औसत प्रतिशत् निम्नानुसार होगाः—

प्राप्तांक का औसत प्रतिशत्		
ग्रेड	अंको का प्रतिशत	प्रतिशत
A+	90-100	95
A	80-89	84.5
B+	70-79	74.5
B	60-69	64.5
C+	45-59	52
D	33-44	38.5
E	33 से कम	

समान ग्रेड/अंक वाले अभ्यर्थी होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। अर्थात जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

6.5. उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

7. सरल क्रमांक 05 एवं 06 में दर्शित पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी :—

7.1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का — 55 प्रतिशत अंक ।

7.2. अनुभव — 10 अंक/15 अंक (एनएचएम में कार्यरत् अभ्यथियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्याथियों को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक/03 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें।

7.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र/एफ1—67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

7.4. उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी।

स. क्र.	पदनाम	चयन आधार
1	Nursing Officer, Physiotherapist ,Community Nurse, ANM, ANM (RBSK), Laboratory Technicians (NHM), Laboratory Technicians-DPHL(IDSP), MO Ayush (RBSK) Male, MO Ayush (RBSK) Female, Nursing Officer ICU, BLOCK Supervisor VBD, OT Technician(LaQsya FRUs), Pharmacists (RBSK)	कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षातकार/लिखित परीक्षा
2	Secretrial Assistant(Medical record Officer), Jr. Secretarial Assistant - PADA	कौशल/दक्षता परीक्षा

3	Security Guard, Support Staff (Housekeeping staff), Sanitary Attandant - NPHCE (SA), Lab Assistant, Attendant - NRC	कौशल / दक्षता परीक्षा

8 **प्रतीक्षा सूची :–**

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद / त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

9 **भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :–**

9.1 विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

9.2 केवल आवेदन कर देने मात्र से ही किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन का दावा मान्य नहीं होगा अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र / प्रमाण या अन्य त्रुटि पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

9.3 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा ऑनलाईन आवेदन में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि ऑनलाईन आवेदन में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णतः के आधार पर आवेदन बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसे अभ्यर्थी को दावा–आपत्ति का अवसर नहीं दिया जावेगा।

9.4 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको का 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।

9.5 समान अंक या प्रतिशत प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

9.6 संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में 15 कार्य दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

9.7 ऑनलाईन आवेदन करते समय चाही गयी अविनार्य दस्तावेज का मूल प्रति का स्कैन कर अपलोड किया जाना अविनार्य होगा।

9.8 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिये।

9.9 **संविदा मानदेय** :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।

9.10 पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदो के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

9.11 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

9.12 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

9.13 संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

9.14 संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।

9.15 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

9.16 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

9.17 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

9.18 उपरोक्त पदों में किसी भी पद पर विवाद एवं समस्या की स्थिति उत्पन्न होने पर उन पदों की भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथावत् जारी रहेगी।

9.19 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर (छ.ग.)